285 (4) लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक वियोजन स्कीम

लोक उद्यमों ने अपने कर्मचारियों के लिए जिन मानदण्डों के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तैयार की है उनका उल्लेख इस विभाग कि तारीख 5.5.2000 और 6.11.2001 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों में किया गया है। लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिनके संबंध में लोक उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों ने स्पष्टीकरण मोंगे हैं इन मुद्दों की जांच की गई है। उठाए गए मुद्दे और उनका स्वष्टीकरण नीचे दिया गया है:–

1. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रतिपूर्ति की गणना पूरी की जा चुकी सेवा और सेवा की बची हुई अवधि दोनों के लिए यथा अनुपात आधार पर की जाएगी ? लोक उद्यम विभाग ने अपने स्पष्टीकरण (तारीख 8.1.2000–मद 17) में कहा है कि प्रतिपूर्ति की गणना सेवा के पूरे किए गए वर्षों या उसके भाग के आधार पर की जाएगी। वर्ष की जितनी अवधि में सेवा प्रदान की गई है उस अवधि के लिए यथा अनुपात आधार पर अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान किया जाएगा। तार्किक रूप से यह यथा अनुपात गणना सेवा की शेष अवधि के लिए की जाएगी।

2. क्या महीने में 26 दिन की दर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रतिपूर्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प लेने वाले उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 5.5.2000 से पहले सेवा छोड़ चुके हैं ?

5.11.2001 तक, महीने में 26 दिन के हिसाब से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की गणना की अनुमति केवल गुजरात पैटर्न के अधीन दी गई थी। क्योंकि 5.5.2000 से पहले गुजरात पैटर्न की कोई अवधारण नहीं थी इसलिए 5.10.88 के दिशानिर्देशों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को एक महीने में 30 दिन की गणना में शामिल किया जाएगा।

3. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की गणना के लिए सभी लोक उद्यमों में की गई पिदली सेवा पर भी विचार किया जाएगा?

यदि प्रत्येक लोक उद्यम में की गई सेवा जारी रहती है (भंग हुए बिना) और भविष्य निधि तथा अर्जित छुट्टियां एक लोक उद्यम से दूसरे लोक उद्यम में अंतरित हुई हैं तो उस स्थिति में पिछली सेवा गणना में ली जाएगी। यदि कर्मचारी लोक उद्यम विभाग के तारीख 5.5.2000 के कार्यालय ज्ञापन में अधिसूचित स्कीम के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक वियोजन स्कीम का विकल्प स्वयं लेता है।

4. क्या ऐसा कर्मचारी जिसका वेतन 1.1.1992 को संशोधित हुआ है और जिसकी एक वर्ष की सेवा शेष बची हो वह लोक उद्यम विभाग के तारीख 6.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रतिपूर्ति में 50% की वृद्धि का हकदार है ?

प्रतिपूर्ति का परिकलन लोक उद्यम विभाग के तारीख 5.5.2000 के अनुसार अनुविद्धि के साथ किया जाएगा। उसके बाद तारीख 6.11.2001 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी नवीनतम संशोधन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक विजन स्कीम दोनों के मामले में देय प्रतिपूर्ति के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

5. क्या ऐसे कार्यापालक/गैर–पालक जिनका वेतनमान 1.1.92 को संशोधित हुआ है लेकिन उसके बाद उनके वेतनमान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, मौजूदा वेतनमान पर 50% वृद्धि के हकदार हैं ?

जी हां, कार्यपालक/गैर कार्यपालक जिन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 1.1.1992 से प्राप्त हुआ है और यह फायदा लोक उद्यम विभाग के तारीख 12.4.93, 17.1.94 और 19.7.95 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार है तो वह प्रतिपूर्ति में 50% वृद्धि के हकदार हैं।

6. यदि वेतन में संशोधन की अनुमति 1.1.97 के बाद दी गइ है तो क्या अनुदानपूर्वक राशि (50%) (ग्रेच्युटी, छुट्टी का नकदीकरण और वेतन की बकाया राशि जिसका भुगतान हो चुका है उसका पुन: परिकलन किया जाएगा।

यदि संशोधित वेतनमान बाद में प्रभावी होता है (वास्तव में 1.1.97 से प्रभावी होता है) तो अनुग्रहपूर्वक राशि का पुन: परिकलन संशोधित वेतनमान के आधार पर किया जाएगा। बढ़ी हुई अनुग्रहपूर्वक राशि (50%) जिसका भुगतान हो चुका है उसे भी समायोजित किया जाएगा। अन्य तत्व जैसे ग्रेच्युटी, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान संगत सांविधि और सेवा शर्तों के उपबंधों के आधार पर किया जाएगा। इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अनुग्रहपूर्वक राशि की गणना शामिल नहीं है।

7. क्या आकस्मिक छुट्टी का नकदीकरण केवल गुजरात पैटर्न में अनुमत है ?

कृपया लोक उद्यम विभाग के 8.12.2000 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम संबंधी दिशानिर्देश का मद 8 देखें।

8. क्या 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के दिल्ली पैटर्न और गुजरात पैटर्न दोनों में अधिकतम 60 महीने तक अनुग्रहपूर्वक राशि प्राप्त करने के हकदार हैं?

कृपया लोक उद्यम विभाग के तारीख 8.12.2000 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम संबंधी दिशानिर्देश की मद संख्या देखें।

9. क्या जिन कामगारों और कर्मचारियों पर 1.1.87 और 1.1.92 से भिन्न तारीखों से मजदूरी संशोधन लागू हुआ है वे 50% या 100% वृद्धि के लाभ के हकदार हैं? यदि हां, तो किसा आधार पर?

लोक उद्यमों द्वारा 1.1.92 से पहले की अवधि के लिए अनुमत कोई भी वेतन संशोधन 87 स्तर पर माना जाएगा। इसी प्रकार लोक उद्यमों द्वारा 1.1.97 से पहले आरंभ होने वाली अवधि के लिए अनुमत कोई मजदूरी संशोधन 92 स्तर का माना जाएगा। तद्नुसार अनुग्रहपूर्वक प्रतिपूर्ति की राशि में 100% या 50% की वृद्धि की जाएगी। यह लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में न आने वाले कामगारों/स्टॉफ के मामले में भी लागू किया जाएगा।

10. क्या छुट्टी वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान प्रतिपूर्ति में 50% या 100% की वृद्धि के आधार पर किया जाएगा।

कृपया लोक उद्यम विभाग के तारीख 8.12.2000 के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम संबंधी दिशानिर्देश की मद संख्या 8 देखें।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. 2(32)/97–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी) तारीख 28 फरवरी, 2002)